

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Monday, 19 March 2018 / 28 Phalgun 1939 (Saka)

No. 67

02.04 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.05 PM The Chair greeted the House on the occasion of *Vikrami Samvatsar* New year.
2. 2.06 PM **Ruling of the Chair regarding Notices of Questions:**
The Chair ruled that the Hon'ble Members should take note of the fact that the text of the Notices of Questions should not be excessively lengthy and primarily relate to one department and one issue. He stated that some Notices of Questions received for reply during the present session had to be disallowed or edited as the text was lengthy and vague.
The Chair further stated that optimum utilisation of floor time was the priority of the House. Hence, the Member against whose name the Question has been listed, should ask two Supplementary Questions and maximum three other Members would be allowed to ask Supplementary Questions. The Members should not make a speech while asking Supplementary Questions and the subject matter should be directly related with the original Question.
3. 2.07 PM Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition sought to know about the notice of adjournment given by him under Rule-55.
The Chair stated that he had already given his Ruling on that issue on 16 March, 2018.
Members of BJP walked out of the House in protest.
4. 2.09 PM **Question Hour :**
Starred questions No. 01 & 02 were asked and replied.
(2.13 PM) Members of BJP came back in the House.
(2.17 PM) Pandemonium in the House due to exchange of arguments between Shri Om Prakash Sharma and Shri Rituraj Govind over remarks of Shri Om Prakash Sharma .
The Chair named Shri Om Prakash Sharma, Member of BJP.
As Shri Om Prakash Sharma refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.
Shri Somnath Bharti moved the motion that Shri Om Prakash Sharma, Member of BJP be suspended for remaining part of the session for his unparliamentary and derogatory remarks.
The Motion was put to vote and adopted by voice vote.
Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition and Shri Jagdish Pradhan walked out in protest.
Starred Question No. 03 was asked and replied.
(2.44 PM) Ruling of the Chair regarding questions related to Vigilance Department:
Hon'ble Deputy Chief Minister informed that Replies to Starred Questions 04 and 16 pertaining to Vigilance Department could not be answered as, in spite of his written directions, the officers had informed him that the Legislative Assembly could not ask questions on 'reserved subjects'. He also alleged that the action of the officers was contempt of all the legislatures in the country.
Shri Somnath Bharti, Shri Saurabh Bharadwaj, Shri Pankaj Pushkar, Shri Akhilesh Pati Tripathi and Shri Mohinder Goyal expressed their views on the subject.
The Chair stated that he was referring the issue of non-submission of replies by the Officers to the Committee of Privileges. He also directed the Chief Secretary to immediately ensure that the replies were submitted to the House.
Member of BJP came back in the House.
Starred Question No. 05 to 08 were asked and replied.
Shri Gulab Singh stated that he was not satisfied with the reply of starred Question No. 08, as the Department had denied knowledge of a press interview of Smt. Manisha Saxena alleging assault of teachers and Principal. He sought to know the details of the interview of the officer which appeared in '*Dainik Jagaran*' newspaper of 05 March 2018.
The Chair directed the Hon'ble Deputy Chief Minister to furnish the complete details on 20 March 2018 after the House had taken up Special Mention (Rule 280). He also directed that Smt. Manisha Saxena, Divisional Commissioner should be present in the Officers Gallery when the matter is taken up.

Starred Questions No. 09 and 10 were asked and replied to.

Replies to Starred Questions No. 11 to 20 (except 16) & Un-Starred Questions No. 01 to 44 were placed on the table.

5. 3.25 PM **Special Mention(Rule-280):**

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Shri Vijender Gupta
2. Shri Mohinder Goyal (*Minister of Health intervened*)
3. Shri S.K. Bagga
4. Shri Jagdish Pradhan
5. Shri Akhilesh Pati Tripathi
6. Shri Saurabh Bharadwaj
7. Shri Girshi Soni (*Minister of Food & Supply intervened*)
8. Shri Gulab Singh
9. Shri Surender Singh

6. 4.14 PM **Papers laid on the Table:**

I. Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister laid copies of the following on the Table of the House:

- I. Copy of the Economic Survey of Delhi for the year 2017-18 (English & Hindi).
- II. Copy of Annual Report of Delhi Commission for Protection of Child Right for 2016-17 (English, Hindi, Urdu & Punjabi).
- III. Notification No.F.40(06)/FD/Rev-II/DSC/2016/Pt. File-II/DS-V/906 dated 20.8.2017 regarding Annual Report of the Delhi Financial Corporation for the year 2014-15 (English/Hindi version) and Annual Report for the year 2014-15 alongwith Special Audit Report of Comptroller and Auditor General of India for the year 2014-15 (Hindi, English, Urdu & Punjabi).

II. Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister laid copies of the Annual Report & Review of working of Delhi Transport Corporation for the year 2015-16 (English & Hindi) on the Table of the House on behalf of the Hon'ble Minister of Transport.

7. 4.15PM **Adoption of Reports:**

I. **Ms. Rakhi Birla** moved the following Motion :

*"That this House agrees with the **Second Report of the Business Advisory Committee** presented to the House on 16 March,2018".*

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

II. **Ms. Rakhi Birla** moved the following Motion:

*"That this House agrees with the **Third Report of the Private Members' Bills & Resolutions Committee** presented to the House on 16 March 2018".*

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

8. 4.16 PM **The Chair adjourned the House for 30 Minutes for tea-break.**

9. 4.54 PM **House reassembled.**

Hon'ble Speaker in-Chair.

10. 4.55 PM **Discussion on Motion of Thanks on Hon'ble Lt. Governor's Address:**

Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister initiated discussion on the following Motion of Thanks moved by him on 16 March 2018:

"That this House expresses its gratitude to Hon'ble Lt. Governor for his address delivered to the Assembly on 16 March 2018".

The following Members participated in the discussion:

1. Shri Gulab Singh
2. Shri Rituraj Govind
3. Smt. Bandana Kumari
4. Shri Mohinder Goyal (Minister of Health intervened)
5. Shri Jagdish Pradhan

11. 6.06 PM The Chair announced that on the recommendations of the General Purposes Committee, it had been decided to unveil portraits of former Prime Minister Late Shri Lal Bahadur Shastri and former President of India Late Dr. A.P.J. Abdul Kalam in the Assembly Hall before 15 August, 2018. The House welcomed the decision of the Hon'ble Speaker.

12. 6.07 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Tuesday, 20 March 2018.**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

सोमवार, 19 मार्च, 2018 / 28 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या-67

2.04 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1. 2.05 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन को नये विक्रमी संवत्सर की शुभकामनायें दी।

2. 2.05 बजे

प्रश्नों की सूचना के संबंध में अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था :

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की सूचना की विषयवस्तु बहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए और वह मुख्यतया एक विभाग और एक विषय से संबंधित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्र के दौरान प्राप्त प्रश्नों की कुछ सूचनाओं को अस्वीकार करना पड़ा या सम्पादित करना पड़ा क्योंकि विषय वस्तु बहुत लम्बी और अस्पष्ट थी।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग सदन की प्राथमिकता है। इसलिए जिस सदस्य का प्रश्न सूचीबद्ध है, वह दो पूरक प्रश्न पूछ सकता है और अधिकतम तीन अन्य सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछते समय भाषण नहीं देना चाहिए और विषय वस्तु, मूल प्रश्न से सीधे तौर पर संबंधित होनी चाहिए।

3. 2.07 बजे

श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा नियम-55 के अंतर्गत दी गई कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बारे में जानना चाहा।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उन्होंने इस मामले में दिनांक 16 मार्च 2018 को पहले ही अपनी व्यवस्था दे दी है।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

4. 2.09 बजे

प्रश्न काल:

तारांकित प्रश्न सं० 01 और 02 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(2.13) भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापिस आ गये।

(2.17 बजे) सदन में शोर-शराबा। श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के कारण श्री ऋतुराज गोविंद तथा श्री ओमप्रकाश शर्मा के मध्य तर्क-वितर्क हुआ।

अध्यक्ष महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री ओमप्रकाश शर्मा को इंगित किया।

श्री ओमप्रकाश शर्मा ने अपने आप सदन से बाहर जाने से इंकार कर दिया। अतः अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा।

श्री सोमनाथ भारती ने प्रस्ताव किया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री ओमप्रकाश शर्मा को असंसदीय और अनादरपूर्ण टिप्पणी करने के कारण सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित किया जाये।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष और श्री जगदीश प्रधान ने विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।

तारांकित प्रश्न सं० 03 पूछा गया और उसका उत्तर दिया गया।

(2.44 बजे) सतर्कता विभाग से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था :

उप मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि सतर्कता विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न सं० 4 तथा 16 के उत्तर नहीं दिये जा सकते क्योंकि उनके लिखित निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि विधानसभा आरक्षित विषयों पर प्रश्न नहीं पूछ सकती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की यह कार्यवाही देश के सभी विधानमंडलों की अवमानना है।

श्री सोमनाथ भारती, श्री सौरभ भारद्वाज, श्री पंकज पुष्कर, श्री अखिलेशपति त्रिपाठी तथा श्री महेन्द्र गोयल ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सदन को तत्काल उत्तर दिये जायें।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापिस आ गये।

तारांकित प्रश्न सं. 05 से 08 पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये।

श्री गुलाब सिंह ने कहा कि वे प्रश्न सं. 08 के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि विभाग ने श्रीमती मनीषा सक्सेना द्वारा प्रेस को दिये गये उस इंटरव्यू की जानकारी से इंकार किया है, जिसमें अध्यापकों तथा प्राचार्य के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया था। उन्होंने उक्त अधिकारी के इंटरव्यू का विवरण मांगा जो दैनिक जागरण समाचार पत्र में 05 मार्च 2018 को प्रकाशित हुआ था।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय उप मुख्यमंत्री को दिनांक 20 मार्च 2018 को सदन में विशेष उल्लेख (नियम-280) के बाद पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि श्रीमती मनीषा सक्सेना, मण्डल आयुक्त इस मामले पर विचार के दौरान अधिकारी दीर्घा में उपस्थित हों।

तारांकित प्रश्न सं. 09 तथा 10 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्न सं. 11 से 20 (16 को छोड़कर) तथा अतारांकित प्रश्न सं. 01 से 44 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

5. 3.25 बजे

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :-

- | | |
|--|---|
| 1. श्री विजेन्द्र गुप्ता | 6. श्री सौरभ भारद्वाज |
| 2. श्री महेन्द्र गोयल (स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया) | 7. श्री गिरीश सोनी (खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने हस्तक्षेप किया) |
| 3. श्री एस.के.बग्गा | 8. श्री गुलाब सिंह |
| 4. श्री जगदीश प्रधान | 9. श्री सुरेन्द्र सिंह |
| 5. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी | |

6. 4.14 बजे

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :

I. श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत की:-

- 1) दिल्ली का वर्ष 2017-18 हेतु आर्थिक सर्वेक्षण (अंग्रेजी-हिन्दी प्रतियां)
- 2) दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू एवं पंजाबी प्रतियां)
- 3) दिल्ली वित्त निगम के वर्ष 2014-15 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में अधिसूचना संख्या एफ.40 (06)/एफ.डी/रेव-11/डी.एस.सी/2016/पार्ट फाइल-11/डी.एस-V/906 दिनांक 20.08.2017 (अंग्रेजी-हिन्दी प्रतियां) तथा वर्ष 2014-15 हेतु भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू एवं पंजाबी प्रतियां)

II. श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने परिवहन मंत्री की ओर से दिल्ली परिवहन निगम का वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्य प्रणाली समीक्षा (अंग्रेजी-हिन्दी प्रतियां) सदन पटल पर प्रस्तुत की।

7. 4.15 बजे

प्रतिवेदनों पर सहमति :

1. सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

“यह सदन दिनांक 16 मार्च, 2018 को प्रस्तुत **कार्यमंत्रणा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।**”
प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

2. सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

“यह सदन दिनांक 16 मार्च, 2018 को प्रस्तुत **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।**”
प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

8. 4.16 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट तक जलपान अवकाश के लिए स्थगित की।

9. 4.54 बजे

सदन पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

10. 4.55 बजे

माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा :

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिनांक 16 मार्च 2018 को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ की :

“यह सदन दिनांक 16 मार्च, 2018 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा को दिये गये अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।”

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री गुलाब सिंह
2. श्री ऋतुराज गोविंद
3. श्रीमती बंदना कुमारी
4. श्री महेन्द्र गोयल (स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
5. श्री जगदीश प्रधान

11. 6.06 बजे अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सामान्य प्रयोजन समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है कि सदन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम के चित्र 15 अगस्त 2018 से पहले लगाये जायें।
सदन ने अध्यक्ष महोदय के निर्णय का स्वागत किया।
12. 6.07 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।
दिल्ली सी. वेलमुरुगन
19 मार्च, 2018 सचिव